फर्द अहकाम

प्रपत्र

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्ती

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	२६/५/२४	पत्रावली पेश हुई। वकलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 20/6/24 को पेश हो।	
	20/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 25/7/24 को पेश हो।	
	२५/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 1 व 3 के वकील उप.। अप्रार्थी संख्या 5 के वकील उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा वकील अप्रार्थी संख्या 5 की प्रा० पत्र अंतर्गत धारा 151 CPC 039R4 CPC पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1, 3 एवं 5 को TI पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक २९/7/२०२४ को पेश हो।	
	२९/7/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 एवं 5 के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रा० पत्र अंतर्गत धारा 151 CPC 039R4 CPC एवं प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दोनों प्रार्थना पत्र पर पूर्व में बहस सुनी जा चुकी है।	

फर्द अहकाम

भंवरलाल बनाम शंकर

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 98/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		प्रार्थना पत्र धारा 151 CPC आदेश 39 नियम 4 जा.दी. पर दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि उनवानी प्रकरण में मूलरूप से विवाद ~~प्रार्थी~~ वादीगण/प्रार्थीगण एवं प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य है। उनवानी प्रकरण में अप्रार्थी सं. 5 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अप्रार्थी सं.-5 को सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है परन्तु न्यायालय द्वारा दिनांक 6/7/2023 को एकतरफा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश सभी पक्षकारान के विरुद्ध पारित किया गया है। उक्त आदेश से अप्रार्थी सं. 5 गोविन्द नारायण शर्मा पुत्र कल्याण को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिनांक 06/07/2023 को परिवर्तित कर अप्रार्थी सं. 5 के विरुद्ध पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को अपास्त फरमाया जावे। (हस्ताक्षर)	

फर्द अहकाम

भंवरलाल बनाम शंकर

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 98/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दोनों प्रार्थना पत्रों पर दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर मनन करने के उपरांत विवादित आराजी खसरा नंबर 104, 104/1, 104/2, 104/3 कुल किता 4 कुल रकबा 6.1075 है. स्थित ग्राम हनुमानपुरा प.ह. बराला तहसील बस्सी, जिला जयपुर एवं खसरा नंबर 13, 14, 14/1 लगायत 14/25 कुल किता 27 कुल रकबा 8.3076 हैक्टेयर स्थित ग्राम बराला, प.ह. बराला, तहसील बस्सी एवं खसरा नंबर 11, 11/1 लगायत 11/5, 16, 16/1 लगायत 16/15 कुल किता 22 कुल रकबा 5.4372 है. स्थित ग्राम बराला, प.ह. बराला, तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में अप्रार्थी सं. 5 का प्रा. पत्र अंतर्गत धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर व प्रा. पत्र O 39 R4 CPC स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी स.	

(हस्ताक्षर)

फर्द अहकाम

भंवरलाल बनाम होकर

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 98/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		5 गोविन्दनारायण शर्मा पुत्र कल्याण के विरुद्ध जारी स्थगन आदेश अपास्त किया जाता है एवं उक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 5 के अतिरिक्त प्रार्थी एवं शेष अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी पर ताफैसला वाद के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो निर्णय दिनांक 29/7/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर बस्सी जिला – जयपुर ग्रामीण	